	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
31/11	पत्रावली पेश हुई। वास्ते प्रा-पत्र सुनी गई। अपराधी हरिश्चन्द्र हाजिर है। को द्वारा सम्मति जाहिर की मैं विवाहित अपनी को विरुद्ध नहीं करा रहा हूँ। दोनों पक्ष उस बात से सहमत हैं कि अपराधी विवाहित अपनी पर कोई प्रश्न हो सकता है जिसकी कार्यवाही भी वही करेगा और भाभी को विरुद्ध दाम वसीयत अपने नहीं करेगा। अतः ता के मध्य वाद उक्त आदेश से दोनों पक्षकारों को पावन्द किया जाता है। प्रा-पत्र फैसला शुमार होकर मूल वाद के लिए सम्बन्ध है।	हरिश्चन्द्र